झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 सं0–2220 वर्ष 2018

मो0 बसीर उर्फ बशीर खान .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री राकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए :– श्री सूरज वर्मा, ए0पी0पी0।

3/दिनांकः 24.07.2018

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार सिन्हा एवं राज्य के विद्वान ए0पी0पी0 श्री सूरज वर्मा को सुना।

इस आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने विद्वान सी0जे0एम0, सिमडेगा द्वारा कुरडेग थाना काण्ड संख्या–27 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 12.10.2017 और 19.04.2018 के आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आदेश दिया गया है।

दिनांक 12.10.2017 के आक्षेपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश में पर्याप्त कारण दिया गया है जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्त्ता अपनी गिरफ्तारी से बच

रहा था एवं खुद को छिपा रहा था। जांच अधिकारी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के प्रयास को दिनांक 12.10.2017 के आदेश में ठीक से माना गया है, जिसके बाद विद्वान निचली अदालत ने दं0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत उद्घोषणा जारी किया।

चूँकि दोनों आदेशों में न्यायोचित कारण हैं, इसलिए उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और तद्नुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)